पत्रांक–भवन / बजट–विविध–04 / 2020–21(खंड–01)......7573(भ) 12/8/26

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/

सभी कार्यपालक अभियंता ,

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

विषयः– **विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना– BR43 Development of Infrastructure Facilities for Judiciary(9174) अंतर्गत परियोजनाओं हेतु भारत सरकार के स्तर पर अनुमान्य राशि से अतिरिक्त लागत से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–7083(भ)अनु० दिनांक–29.07.2026, पटना उच्च न्यायालय, पटना का पत्रांक–63293–295 दिनांक–15.07.2026 तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार के पत्रांक–11017/04/2024-JR(E-9294) दिनांक–23.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना– BR43 Development of Infrastructure Facilities for Judiciary(9174) अंतर्गत भारत सरकार के स्तर पर Component Wise अनुमान्य दर निम्नवत है:–

(राशि रूपये में)

	Court Hall	Residential Units	Lawyer's Hall	Toilet Complex	Digital Computer Room
Total per unit rate (Central+State)	96,15,385/-	96,15,385/-	80,45,977/-	5,40,228/-	2,63,158/-
Central Share for Bihar (60%)	57,69,231/-	57,69,231/-	48,27,586/-	3,24,137/-	1,57,895/-
State Share (40%)	38,46,154/-	38,46,154/-	32,18,391/-	2,16,091/-	1,05,263/-

उपर्युक्त तालिका के आधार पर कुछ योजना हेतु अनुमान्य केन्द्रांश की राशि का व्यय पूर्व में किया जा चुका है, जिसके कारण उक्त परियोजना हेतु CFMS 2.0 के SNA SPARSH Module अंतर्गत समर्पित विपत्र को विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

इस संदर्भ में केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु अनुमान्य राशि से अधिक परियोजना/निर्माण कार्य का लागत आने की स्थिति में अतिरिक्त लागत से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–7083(भ)अनु० दिनांक–29.07.2026 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था, जो अबतक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराया जाय, ताकि अतिरिक्त भुगतान के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विधि विभाग को भेजा जा सके।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना BR43 Development of Infrastructure Facilities for Judiciary अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का भारत सरकार के स्तर पर अनुमान्य लागत के आधार पर अतिरिक्त लागत से सं

क्रम सं०	प्रमंडल का नाम	योजना / कार्य की विवरणी	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग (पत्रांक / दिनांक)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	Component					एकरारनामा की राशि	योजना की पुनरीक्षित लागत (यदि हो तो साक्ष्य सहित विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करें)	भारत सरकार के स्तर पर अनुमान्य लागत			अतिरिक्त लागत (भारत सरकार के स्तर पर अनुमान्य लागत के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता) (11 या 12 – 15)	दिनांक–31.03.2026 तक व्यय की गयी राशि			वित्तीय वर्ष 20 व्यय की गई	
					No. of Court Hall	No. of Residential Unit	No. of Lawyer's Hall	No. of Degital Computer Room	No. of Toilet Complex			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
कुल																				

कार्यपालक
भवन प्रमंडल,...